मुन्तकिली प्रकरण सं0 64/2018(RCMS 2018/00122) अनवानी सरवती देवी धर्मपत्नि स्व.श्री देवी लाल 2. बजरंग लाल 3. काशीराम पुत्रगण स्व.श्री देवी लाल, अकवाम जाट साकिन चक 20 एस टी बी ढाणी(रामसरा) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. केसारामराम 2. पृथ्वीराज 3. ओम प्रकाश 4. राजेनद्र 5. मूलराम पिसरान उमीराम अकवाम स्वामी निवासी गांव रामसरा जाखडना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 6. कृष्णलाल पुत्र स्व. श्री देवी लाल जाति जाट चक 20 एसटीबी ढाणी (रामशरा) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 7. सरपंच, ग्राम पंचायत रामसरा जाखडना 8. तहसीलदार, सूरतगढ 9. उप जिलाधीश राजस्व, सूरतगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.07.2018

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री भगत सिंह उपस्थित हुए, उन्हें एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के न्यायालय का प्रकरण संख्या 128/2018 मय टी आई सरवती देवी केसरा राम विचाराधीन है, जिसमें आयन्दा तारीख पेशी 30.07.2018 नियत है। उनका आगे कथन है कि प्रार्थीगण के नाम चक 20 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 55/44 के पत्थर नम्बर 51/322 मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 में 0.249 हैक्टेयर किला नं 2 ता 25 सालम कृषि भूमि खातेदारी अधिकार की है। मगर प्रार्थीगण के इस मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 ता 21 में खाला मंजूर ना होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण मनमाने तरीके से पक्का खाला बनाने की फिराक में है और अगर पक्का खाला बना दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा एवं 212 आरटी एक्ट का प्रार्थना पत्र सरवती देवी आदि बनाम केसरा राम आदि के नाम से पेश किया जिससे अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11.07.2018 को प्रार्थीगण के पक्ष में जारी कर दी गई।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह कथन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11.07.2018 की सूचना प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 केसराराम आदि शीघ्र ही स्थानीय विधायक श्री राजेन्द्र भादू के पास गये और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून सम्वत् तरीके से जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करवाने की प्रार्थना की। चूंकि विधानसभा चुनाव की सूचना अतिशीघ्र जारी होने वाली है इसलिए स्थानीय विधायक महोदय ने अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारी को जरिए टेलीफोन अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने का आदेश फरमा दिया। यह सूचना प्रार्थीगण को विश्वसनीय व्यक्ति श्री लाल चन्द ने दी जिस पर प्रार्थीगण बजरंग लाल व काशीराम तुरन्त स्थानीय विधायक से मिले व अपना पक्ष रखा तो स्थानीय विधायक ने स्पष्ट कहा कि केसरा राम वगै. हमारे वोटर है और हम उनका पक्ष करके स्टे खारिज करवायेगें। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी जो कि स्थानीय विधायक के प्रभाव में है और उनके पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को भी खारिज करवा देगें और प्रार्थीगण न्याय से वंचित हो जायेगें, जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए निष्पक्ष न्याय हेतु उक्त प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जावे।

मैने प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री भगत सिंह जाखड़ द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त तर्कों पर मनन किया और उनके द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के न्यायालय में लंबित वाद संख्या 128/2018 एवं 212 आरटी एक्ट का प्रार्थना पत्र अनवानी सरवती देवी आदि बनाम केसरा राम आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना को लेकर किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के लिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.07.2018 को पेश किया है। इस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण के गुण दोष पर कोई विचार नहीं करना है, केवल मात्र यह देखना है कि उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय से किसी सक्षम न्यायालय में निष्पक्ष न्याय की दृष्टि से मुंतकिल किये

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जाने योग्य है अथवा नहीं? पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड सूरतगढ द्वारा एक अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11.07.2018 को जो कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की गई है और उस पर आपत्तियों पर सुनवाई हेतु दिनांक 30.07.2018 नियत की गई है। प्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी पर स्थानीय विधायक के प्रभाव में होने का आरोप लगाया है और यह आशंका जारी की है कि उसके पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त हो जायेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आशंका के आधार पर ही प्रार्थीगण द्वारा स्थानीय विधायक का राजनैतिक दबाव होने का आरोप लगाया है जो आरोप एक साधारण प्रकृति का है और ऐसा आरोप कभी भी किसी पर, किसी भी समय लगाया जा सकता है। मुकद्दमा मंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है, जिससे यह प्रतीत होता हो कि अगर वास्तव में प्रकरण को मुंतकिल नहीं किया गया तो प्रार्थी के साथ घोर अन्याय होगा। ऐसा कोई भी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय से मुन्तकिल किया जाना उचित प्रतीत हो। अतः प्रार्थीगण का यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर